

निर्णय
20.08.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
अजयकुमार बनाम रामकुमार आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 443 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
05.08.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजि स्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 21.08.2025 को पेश हो।</p>	
7.8.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र जिला केसी पेश करते पर पत्रावली को केसी में लिखा गया व कुलाए फडिडेन उपस्थिति वही व पूछि वडी कर। व डेरे हरिहर अदालत आकर शहीनामा पेश किया जिसे वड वरीक व हरिहर फडिल किया गया। पत्रावली वाले स्टेट जाकार आईन्दा दिनांक 14.8.2025 को पेश हो।</p>	<p>अजय कुमार Rajy Vijit</p>
14.8.2025	<p>कुलाए फडिकन उपस्थित वड अजय कुमार के वड वरीक व हरिहर फडिल किया गया। पत्रावली वाले स्टेट जाकार आईन्दा दिनांक 20.8.2025 को पेश हो।</p>	
20.8.2025	<p>कुलाए फडिडेन उपस्थिति वड अजय कुमार पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित हरिकर व डेरे वरीक व हरिहर फडिल किया जाकर शहीनामा के आदर पर वड वरीक व डेरे किया जाकर है। पूर्व निवतन सहित निर्णय अजय से लिखकर जाकर शहीनामा फडिल किया जाके। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर वड वरीक व डेरे व हरिहर फडिल किया जाकर है।</p>	

